[10/8/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 350]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 350 श्री देवेन्द्र सिंह पटेल, माननीय विधायक

परिशिष्ट 'अ'

जिला	ब्लॉक	कुल संख्या	विवरण	संचालक
रायसेन	बरेली	0	—	—
	बेगमगंज	1	प्रधानमंत्री भारतीय जन ओषधि केन्द्र, वार्ड नं 9, सागर–भोपाल रोड, बेगमगंज, जिला रायसेन	श्री शरद शर्मा
	गैरतगंज	0	—	—
	औबेदुल्लागंज	2	1) प्रधानमंत्री भारतीय जन ओषधि केन्द्र, प्लॉट नं 1469, खेड़िया मोहल्ला, वार्ड नं 2, स्टेशन रोड, मण्डीदीप, जिला रायसेन 2) प्रधानमंत्री भारतीय जन ओषधि केन्द्र, एम–169, पटेल नगर, मण्डीदीप जिला रायसेन	श्री राजकुमार खत्री श्री भूपेन्द्र नामदेव
	साँची	0	—	—
	सिलवानी	0	—	—
	उदयपुरा	0	—	—

A.K. Jain
Drugs Inspector
Raisen (M.P.)

Scanned by TapScanner

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 350 श्री देवेन्द्र सिंह पटेल, माननीय विधायक

परिशिष्ट 'ब'

ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया (बी.पी.पी.आई.) जो कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की क्रियान्वयन संस्था है, में आवेदक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र खोलने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर पंजीकरण प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र किसी भी व्यक्तिगत उद्यमी के द्वारा खोला जा सकता है जिसके पास बी.फार्मा की डिग्री हो या फिर कोई भी व्यक्तिगत उद्यमी किसी बी.फार्मा या डी..फार्मा डिग्री धारक को नौकरी पर रखकर ये केन्द्र खोल सकता है। कोई भी संस्था, सोसायटी या एन.जी.ओं भी किसी भी बी.फार्मा या डी.फार्मा डिग्री धारक को नौकरी पर रखकर ये केन्द्र खोल सकता है। सरकारी जगहों पर और मेडिकल कॉलेज में प्रख्यात संस्था, सोसायटी या एन.जी.ओ. एवं व्यक्तिगत उद्यमी केन्द्र खोलने के लिये आवेदन कर सकते हैं।

केन्द्र खोलने और उसे चलाने के लिये 5,00,000 रूपये की बिक्री आधारित प्रोत्साहित राशि का भी प्रावधान सरकार ने रखा है। महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पर्वतीय क्षेत्र और नार्थ इर्स्टन स्टेट के आवेदको को केन्द्र की रूपरचना के लिये 2,00,000 रूपये तक की सहायता का भी प्रावधान है। जन औषधि केंद्र संचालकों की सभी दवाईयों और उप्पादों पर 20 प्रतिशत का मुनाफा भी प्राप्त होता है।

A. K. JAIN
Drugs Inspector
Raisen (M.P.)

Scanned by TapScanner